# न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

**अपील सूचना अधिकार संख्या 71/2024(GCMS 2024/261)**

**(आरटीआई संख्या 212890248405035)**

**श्री रामलाल** पुत्र श्री सुखराम जाति जाट निवासी गांव 36 एच नग्गी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान, पिन कोड–335073 मोबाईल नम्बर 78776–33444

**बनाम**

**लोक सूचना अधिकारी** एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**10.02.2025**

**पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री मुकन्द सिंह** स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 02.09.2024 से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

**मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि** अपीलार्थी श्री रामलाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 02.09.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न **दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी :**

1. श्रीमान एसडीओ रेवन्यू के पत्र क्रमांक रीडर/2022/150 दिनांक 19.02.2022 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जिसके द्वारा प्रार्थी की पत्नि के नाम की भूमि चक 39 एमएमके का इन्तकाल प्रार्थी के नाम करने का आदेश दिया गया है।
2. इस पत्र पर तहसीलदार सादुलशहर द्वारा की गई कार्यवाही की नकल दिये जाने हेतु।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:43:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

**उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपने पत्रांक रीडर/2024/531 दिनांक 23.12.2024** से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र में लेख है कि श्रीमान् प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर में प्रार्थी रामलाल पुत्र सुखराम द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील पेश कर उपखण्ड धिकारी, सादुलशहर में प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई हैं

1. श्रीमान एस.डी.ओ. के पत्र क्रमांक : रीडर/2022/150 दिनांक 09.02.2022 की प्रमाणित प्रतिलिपि जिसके द्वारा प्रार्थी की पत्नी के नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया है, की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थी द्वारा चाही गयी थी। उक्त प्र.सं. 147/2019 के विरूद्ध माननीय न्यायालय आर.ए.ए. श्रीगंगानगर हरदो बनाम सरकार अपील सं. 16/2022 में संलग्न है जो इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं
2. एसडीओ के पत्र क्रमांक रीडर/2022/150 दिनांक 09.02.2022 पर तहसीलदार, सादुलशहर द्वारा की गयी कार्यवाही की तमाम कागजात की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गयी थी जो इस कार्यालय के क्रमांक राजस्व/2023/1996 दिनांक 16.08.2023 द्वारा पत्र जारी कर कार्यालय तहसीलदार, सादुलशहर के क्रमांक भू.अ./2024/2403 दिनांक 06.08.2024 द्वज्ञरा सूचना प्राप्त की जा चुकी है। जिसके अनुसार माननीय न्यायालय आरएए श्रीगंगानगर हरदो बनाम सरकार अपील संख्या 16/2022 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में स्थगन दर्ज है। जिसकी प्रति प्रार्थी कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्राप्त कर सकता है।

सूचना श्रीमानजी की सेवा में सादर प्रेषित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:43:07 IST
Reason: SelfAttested

**उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर** [illegible]ल का जवाब उक्तानुसार दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की** [illegible](एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की** [illegible] **हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर** द्वारा जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 16/2022 अनवान हरदो बहनाम सकार की वर्तमान स्थिति की जानकारी, माननीय न्यायालय से प्राप्त करे कि उक्त प्रकरण वर्तमान में जैरकार है अथवा नहीं? अगर उक्त प्रकरण में माननीय राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका और वर्तमान में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाई कर, अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना, सूचना का अधिकारी अधिनियम के प्रावधानुसार, उसे उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

**अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी** की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 16.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:43:07 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर